न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–24/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00037)

1. प्रभाती पुत्र श्री बिरदा, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भगता पुत्र श्री सालगा,
2. रामजीवण पुत्र श्री बिरदा,
3. रिछपाल पुत्र श्री लल्लूराम,
4. नाथूलाल पुत्र श्री महादेव, समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण, समस्त निवासीयान ग्राम चौंप राडो की ढाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.09.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 28.06.2017 (प्रकरण संख्या 60/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 नॉन स्पीकिन्ग आदेश की श्रेणी मे आता है जिसमें किसी प्रकार का कोई विस्तृत आदेश पारित ना कर, अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधनों के विपरित आदेश पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है दिनांक 28.06.2017 को ना तो अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित थे व ना ही पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित थे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इन अहम तथ्यों की ओर गौर किये बिना तथा बिना कोई बहस सुने ही, बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर विधि की भारी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को भली–भांति थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ था, जो कि आज दिनांक तक प्रभावी है, के बावजूद भी उपरोक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो प्रार्थना पत्र भू

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था उसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अनुतोष चाहा गया था कि पुनः आराजीयात का सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाने हेतु निर्देशित करें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिनांक 28.06.2017 को पारित किया गया है उसमें सीमाज्ञान हुये बिना ही पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये गये जबकि पत्थरगढी से पूर्व आराजी का सीमाज्ञान होना कानूनन आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अहम कानूनी बिन्दु की ओर भी कोई ध्यान ना देकर विधि की भारी भूल की है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था तथा अपीलान्ट भी तारीख पेशी पर मौजूद रहता था, अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को यह कहा गया था कि उन्हे प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नही है, जब कभी अपीलान्ट की जरूरत होगी सूचित कर बुलवा लिया जावेंगा परन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.06.2017 को उक्त प्रकरण में जो एक तरफा कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध की गई तथा तत्पश्चात् जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है, की कोई सूचना अपीलान्ट को उसके अधिवक्ता द्वारा नही दी गई, रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर दिनांक 17.01.18 को यह कहा गया कि हमने हमारे पक्ष में पत्थरगढी का आदेश करवा लिया है जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिनके द्वारा अपीलान्ट को कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सम्पूर्ण जानकारी की एवं तदोपरान्त नकल चाहने हेतु नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 19.01.18 को अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को उपरोक्त आदेश व एकतरफा कार्यवाही की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है एवं उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2017 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1404, रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.54 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 हैक्टयर ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुरे में स्थित है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि के पास ही अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 1405, 1431, 1432, 1433, 1437, 1435 स्थित है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 काबिज काश्तकार है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार आमेर के यहॉ सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र लगाया था एवं मौके पर सीमाज्ञान हेतु दिनांक 16.07.15 को तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू. अभिलेख/2015/2618 दिनांक 30.06.2015 की पालना में खसरा नम्बर 1404, रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.54 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 हैक्टयर ग्राम चौंप तहसील आमेर जिला जयपुर मौके पर मय रिकार्ड सर्वे करने पहुॅचा, मौके पर यह नम्बर 1371 को मुताबिक बिन्दु मानकर बार–बारी से जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया एवं उक्त सीमाज्ञान पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने पदनुसार हस्ताक्षर नही किये परन्तु तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी से सीमाज्ञान तो कर लिया परन्तु उक्त सीमाज्ञान में अपना निष्कर्ष नही निकाला कि रेस्पोडेन्ट की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि किस पक्षकार के पास धसी हुई है, बाबत रेस्पोडेनट संख्या 1 ने कई मर्तबा तहसील कार्याल में गये और मालूमात किया तो उन्होने कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया एवं बार–बार तहसील कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी दिनांक 16.07.2015 के सीमाज्ञान का कोई निष्कर्ष रिपोर्ट पत्रावली में नही पेश की, इसलिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहे है तथा उनकी ओर से उनके अधिवक्ता भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे है इसलिये अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजीयात कृषि भूमि की सीमा सम्बन्धी विवाद है, इस कारण से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 से किसी प्रकार का विवाद हमेशा के लिऐ नही रहे इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जाकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.17 पारित किया गया है जिसमें कोई गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली व अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.17 कैम्प कोर्ट आमेर में पारित किया गया है जबकि आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 28.06.17 को उभयपक्ष अनुपस्थित रहे है तथा फर्द मौका सीमाज्ञान कार्यवाही के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि तहसीलदार आमेर के आदेश दिनांक 30.06.15 की पालना में दिनांक 16.07.15 को पटवारी हल्का चौंप द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है लेकिन उक्त सीमाज्ञान पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के हस्ताक्षर नही है तथा उक्त सीमाज्ञान पर तहसीलदार आमेर के हस्ताक्षर भी नही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ''तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी ने सीमाज्ञान तो कर लिया परन्तु उक्त सीमाज्ञान मे अपना निष्कर्ष नही निकाला है'' कथन किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपूर्ण सीमाज्ञान रिपोर्ट पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2017 पारित किया गया है जिसे कानूनी दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात, इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व तहसीलदार रिपोर्ट तलब की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।